24.06.25 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वाद उनके निवेदन पर नोट शीट के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अब यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नाजर से बस्ता है। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS.